तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 32/2019 अंतर्गत धारा–90–ए(9) एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2019/00194)

अनवानः

1. विशाल तंवर पुत्र चन्द्रप्रकाश तंवर जाति तंवर निवासी हरिरामजी के मंदिर के पास, पुरानी लेन, गंगाशहर, बीकानेर।

बनाम

1. नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।
2. बाबूलाल गहलोत पुत्र माणकलाल गहलोत निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभापक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभापक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने व विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु दिनांक 06.02.2023 से लगातार पावन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पावन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये और न ही आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर